

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

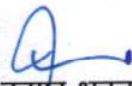
बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - भोपाल (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
2.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, अशोकनगर - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
3.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बड़वानी - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
4.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरदा - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
5.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर, जिला - बुरहानपुर - संशोधित एवं रेत खनिज			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
6.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला - निवाड़ी - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
7.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) शहडोल			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	Sent to SEAC
8.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर, जिला शहडोल			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
9.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज, जिला - बैतूल			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
10.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खंडवा - (अन्य गौण खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
11.	9244/2022	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वीं बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

12.	8370/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
13.	9266/2022	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	9249/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
15.	7828/2020	1(a)	डोलोमाईट खदान	For Delist	Relisted & Sent to SEAC
16.	7604/2020	1(a)	डोलोमाईट खदान	For Delist	Relisted & Sent to SEAC
17.	8576/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9270/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Relisted & Sent to SEAC
19.	7734/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
20.	7733/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
21.	7736/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
22.	7731/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
23.	7732/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
24.	7771/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
25.	5617/2017	1(a)	लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Delisted
26.	6770/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Delisted

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – भोपाल (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/2022 में भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

“.....अतः समिति भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।”

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए भोपाल


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, भोपाल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - अशोकनगर (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/2022 में अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

".....अतः समिति अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, अशोकनगर को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - बड़वानी (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)

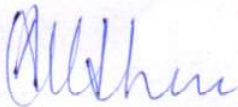
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

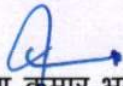
"..... अतः समिति बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज- गिट्टी) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, बड़वानी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – हरदा (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में हरदा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

“..... अतः समिति हरदा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये। ”

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए हरदा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, हरदा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बुरहानपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर संशोधित एवं रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में निवाड़ी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर संशोधित एवं रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

“..... अतः समिति बुरहानपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

.....अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ बुरहानपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये। ”

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए बुरहानपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर संशोधित एवं रेत खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

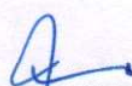
तदनुसार जिला कलेक्टर, बुरहानपुर को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

6. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट निवाड़ी (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में निवाड़ी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"..... अतः समिति निवाड़ी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए निवाड़ी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, निवाड़ी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट शहडोल (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में निवाड़ी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..... समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के निर्णय से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि शहडोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) का अनुमोदन की अनुशंसा की गई है अथवा नहीं। अतः उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रप्रेषित की जाये।

8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट शहडोल (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)

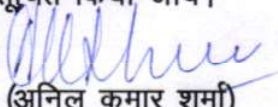
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में शहडोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

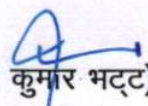
"..... अतः समिति शहडोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए शहडोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, शहडोल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बैतूल (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

“..... अतः समिति बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।”

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदनुसार जिला कलेक्टर, बैतूल को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

10. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खण्डवा (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

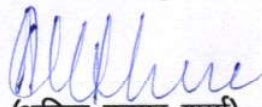
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 में खण्डवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

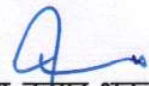
“..... समिति की यह अनुशंसा है कि खण्डवा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।”

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर खण्डवा को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र 9244/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीराम कन्स्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, प्रो. श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जकीरा हाउस, घूरडांग, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.804 हेक्टेयर, खसरा 49/1/ख/1/1, 49/1/ख/1/2, 49/1/ख/2, ग्राम बेला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वीं बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 746वीं बैठक दिनांक 13.09.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

.....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 34, 40 एवं 120 मीटर की दूरी पर रहवासी क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

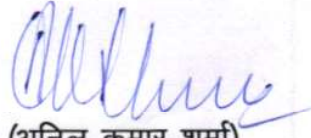
अतः उपरोक्तानुसार माननीय एनजीटी के दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रस्तावित खदान के समीपस्थ स्थित रहवासी क्षेत्र के दृष्टिगत खनन गतिविधि हेतु अनुमति के संबंध में जिला कलेक्टर सतना से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि रहवासी क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की लीज खनन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं।

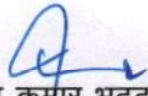
उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 30.09.2022 से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना का पत्र दिनांक 28.09.2022 प्रस्तुत किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले SEAC में लिखित प्रतिबद्धता के अनुरूप ओपन सीवर से बहने वाले दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु संबंधित स्थानीय निकाय के समन्वय से दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाये। इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन माइनिंग एरिया में हाईड्रेनसिटी प्लानटेशन अधिक जल सोखने वाली प्रजातियों के वृक्ष (पोपलर, सेमल, यूकेलिप्टस, जामुन, करंज, मलबरी, सिस्सु इत्यादि) लगाये जायेंगे।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (v) सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

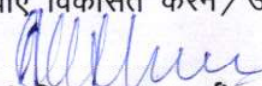
कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	जामुन, करंज, मलबरी, सिस्सू, नीम, पीपल, खमैर, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1300
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	सिस्सू, नीम, अमलतास, नीलगिरी, इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	220
5.	ग्राम बेला के ग्रामीणों में वितरण	बेल, इमली, आंवला, मुनगा, सीताफल, अमरुद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	980
कुल वृक्षारोपण			2500

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बेला में खदान के पास स्थित आबासी क्षेत्र में एक कॉमन टायलेट का निर्माण किया जायेगा।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीराम कन्स्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, प्रो. श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जकीरा हाउस, घूरडांग, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.804 हेक्टेयर, खसरा 49/1/ख/1/1, 49/1/ख/1/2, 49/1/ख/2, ग्राम बेला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्र. 2093 दिनांक 26.07.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.07.2031 तक मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 8370/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरदौल ग्रेनाइट, प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा यादव पत्नी श्री अशोक सिंह यादव, निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 1,50,005 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.320 हेक्टेयर, खसरा 13, ग्राम लखनपुरा, तहसली डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 749वी बैठक दिनांक 23.09.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला ग्वालियर की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु SEIAA कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः जिला कलेक्टर, ग्वालियर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार प्रकरण को Delist किया जाये, परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को Relist करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार सहित आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हों।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से प्रकरण में प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने पर्यावरण सलाहकार के साथ प्रस्तावित

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की पूर्ण जानकारी एवं अन्य सुसंगत जानकारी/दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

13. प्रकरण क्रमांक 9266/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री सुनील खर्चे, निवासी – वार्ड क. 15 गावण्डे कालोनी सौसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14537 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 271 रकबा 2.123 हेक्टेयर, ग्राम जमालपानी, तहसील, सौसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 749वी बैठक दिनांक 23.09.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 743वी बैठक दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से उत्तर दिशा में 50 मीटर एवं पूर्व दिशा में 25 मीटर पर पक्की सड़क तथा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं) जिसके परिपालन में पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त न्यूनतम क्षेत्र पर खनन अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला खनिज अधिकारी जिला छिंदवाड़ा से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है अतः प्रकरण को Delist करते हुए जिला खनिज अधिकारी जिला छिंदवाड़ा को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल एवं ऑनलाईन ADS दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त निर्णयानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है एवं प्रकरण Relist कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य कर प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 589वी बैठक दिनांक 17.08.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं औद्योगिक क्षेत्र से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जाये एवं उनका रख-रखाव किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन माईनिंग एरिया में हाईडेनसिटी प्लानटेशन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, करंज, चिरोल, खमेर, महुआ, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1800
गैर खनन क्षेत्र	नीम, सेजा, अचार, महुआ खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	550
परिवहन मार्ग 25 मीटर (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम, करंज, जंगलजलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
योग		2400

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बोरगांव के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फाउलर बेड उपलब्ध कराया जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स निशी कान्सट्रक्शन प्रो. श्री सुनील खर्चे, निवासी - वार्ड क. 15 गावण्डे कालोनी सौसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14537 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 271 रकबा 2.123 हेक्टेयर, ग्राम जमालपानी, तहसील, सौसर जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्र. 96 दिनांक 24.01.2022 एवं पत्र क्र. 648 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.01.2032 तक मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र 9249/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव गांधी आत्मज श्री विजय गांधी, निवासी 21, किला मार्ग, जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 47025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा 78, 81 279, 280, 281, 286, 287, 288, ग्राम कोल्याबयडा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 746वीं बैठक दिनांक 13.09.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 669 दिनांक 08.06.2022 के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है का उल्लेख है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण में कलस्टर में सम्मिलित खदानों (स्वीकृत/संचालित) के दृष्टिगत कुल क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त 02 खदानों के संबंध में जिला कलेक्टर अलीराजपुर से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.2022 के अनुसार दर्शित जिन खदानों (जिसकी अवधि समाप्त हो गई है) का विधिवत माईन क्लोजर हुआ है अथवा नहीं। उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS एवं ई-मेल दिनांक 15.10.2022 के माध्यम से उपरोक्त निर्णयानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की गई अनुशंसा को मान्य

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

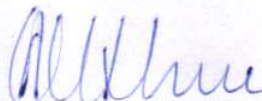
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

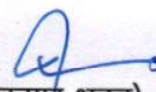
करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जाये एवं उनका रख-रखाव किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन माईनिंग एरिया में हाईडेनसिटी प्लानटेशन किया जायेगा।
- (iii) अलीराजपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोतों की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000 पौधे
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	250 पौधे
3	ग्राम कोल्याबरडा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पीपल, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4.	ग्राम सुदी बड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	250 पौधे
5.	ग्राम कोल्याबरडा के शासकीय हाई स्कूल परिसर में	नीम, चिरोल, पुत्रंजीवा, पीपल, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	250 पौधे
6.	ग्राम बीड़ा बाड़ी में स्थित शासकीय खेल मैदान में परिसर में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400 पौधे


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वीं बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

7.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	4400

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम कोल्याबरड़ा के नजदीक स्थित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के परामर्श एवं जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री व उपकरण प्रदान किये जावें।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

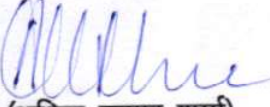
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

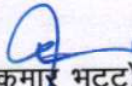
परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव गांधी आत्मज श्री विजय गांधी, निवासी 21, किला मार्ग, जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 47025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा 78, 81 279, 280, 281, 286, 287, 288, ग्राम कोल्याबरड़ा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश पत्र क्र. 7104-05 दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.05.2032 तक मान्य रहेगी।

15. **Case No. 7828/2020** Prior Environmental Clearance for **Dolomite Mine** in an area of 5.80 ha. (50000 tonne per annum) (Khasra No. 239, 240, 278/2), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) by M/s Bhagchand Sancheti, Partner, Shri Gaurav Sancheti, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. - Balaghat, MP

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 643वीं बैठक दिनांक 06.10.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

** 464th SEAC meeting dated 03.10.2020. The case was scheduled for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. From the above it is clear that PP is not interested to continue with the project. Since the tenure of SEAC will be over on 09 October, 2020 and all such cases which are pending at SEAC will become category-I cases in the absence of SEAC. Thus case file is being sent to SEIAA for onward necessary action please.*

As per above observation of SEAC, it has been decided to delist above cases mentioned in S. No. 81 to 132 on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal. Copy to PP and all concerned.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 15.10.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **Case No 7604/2020** Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 7.713 ha. (50,000 tonne per annum) (Khasra No. 250/1, 250/3, 251), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) by M/s Bhagchand Sancheti, Ward No. 7, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. Balaghat, MP - 481331

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 650वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

** This case was discussed in 468th SEAC meeting dated 16.12.2020 and it was recorded that.....*

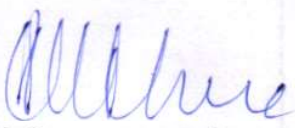
".....The case was scheduled for presentation, but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in SEAC meeting 466th SEAC meeting dated 26/11/2020 & 458th SEAC meeting dated 22/09/2020. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.."

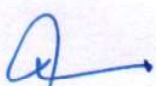
As per above observation of SEAC, it has been decided to delist the case on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal. Copy to PP and all concerned.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 15.10.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

17. प्रकरण क्र 8576/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अविराम शुक्ला आत्मज श्री राजेश शुक्ला, निवासी शुक्ला सदन, वार्ड न. -7 रतनगंज मोहल्ला राइवल इंग्लिश स्कूल के पास विजावर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.180 हेक्टेयर, खसरा 152/1 ग्राम नयागाँव, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 594 वीं बैठक दिनांक 21.09.2022 एवं उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 05 पेड़ लगे हैं जिनको काटा जायेगा एवं उसके एवज 50 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे

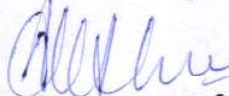
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS एवं ई-मेल दिनांक 17.10.2022 के माध्यम से उपरोक्त निर्णयानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 594वीं बैठक दिनांक 21.09.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- लीज में विद्यमान 05 पेड़ एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित किया गये 50 अतिरिक्त पेड़ों का समुचित लीज अवधि में रखरखाव किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण

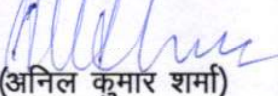
विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

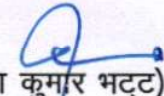
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आंवला, खमेर, आम, नीम, पीपल, शीशम, सीताफल, बरगद, चिरौल, शिरीश आदि और अन्य उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	2200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	इमली, जामुन, शीशम, महुआ, नीम, पीपल इत्यादि।	100
3	नयागांव ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, खमेर, आम, मुनगा, नीम, पीपल, शीशम, इमली, जामुन, सीताफल एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ।	900
4	लीज एरिया के समीप चारागाह के विकास के लिए	अंजन, सिंबोपोगोन, मस कांधी, छोटी कांधी, ट्राईएन्ड्रा, स्थानीय बारहमासी चारा की प्रजातियाँ।	500
5	लीज एरिया से दक्षिण दिशा की ओर स्थित जल निकाय के आस-पास	नीम, पीपल, शीशम, सीताफल, बरगद, आदि और स्थानीय बारहमासी घास की प्रजातियाँ जैसे कान्स ग्रासो (सचरम स्पॉटेनियम) बड़ा पत्ता घास (सेटारियामेगाफिला) और दोआब घास (साइनोडॉडैक्टाइलन) अन्य इत्यादि।	200
कुल			3200

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

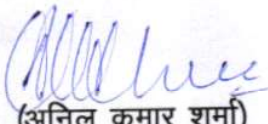
- ग्राम के समीपस्थ शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड, क्रिकेट और बैडमिन्टन फुटबॉल इत्यादित किट उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम के समीपस्थ शासकीय विद्यालयों में सोलर पैनल की स्थापना की जाये।
- ग्राम नयागांव में प्रमाणित चिकित्सक की देखरेख में मधुमेघ एवं रक्तचाप स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये।
- ग्राम के स्थानीय पशुओं के लिये स्वास्थ्य जाँच एवं टीकरण शिविर का आयोजन किया जाये।
- उज्जवला योजना के तहत सोलर कुकर/एलपीजी सिलेण्डर की व्यवस्था खदान के मजदूर के लिये की जायेगी।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अविराम शुक्ला आत्मज श्री राजेश शुक्ला, निवासी शुक्ला सदन, वार्ड न. -7 रतनगंज मोहल्ला राइवल इंग्लिश स्कूल के पास विजावर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.180 हेक्टेयर, खसरा 152/1 ग्राम नयागाँव, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्र. 3871 दिनांक 29.12.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.12.2030 तक मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 9270/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाष कश्यप, लक्ष्मेव भवन, नियर लिटिल किंडम स्कूल, शांता मंदिर, नियर आस्था परिसर, न्यू रामनगर, आधारताल, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 24290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.290 हेक्टेयर, खसरा नं. 521, 522, ग्राम तोरमदार, तहसील कुंदम, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 741वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

* राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"..... समिति ने पाया कि जबलपुर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौड खनिज) अनुमोदन हेतु अभी अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 16.09.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

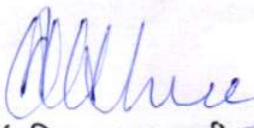
राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

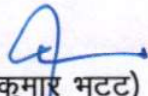
19. प्रकरण क्रमांक 7734/2020 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9-ए पैरामाउंट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 5.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 385, ग्राम सुल्तानगंज, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण हेतु आवेदन।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2022 के साथ संलग्न नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से प्रकरण में जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी – 9-ए पैरामाउंट विला, नियर अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र पर उल्लेख किया है कि हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 258-59/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 के उपरांत से आवेदन करने की दिनांक तक उक्त खदान संचालित नहीं की गई है।

उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन पर राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 258-59/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शमी)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. प्रकरण क्रमांक 7733/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 0.330 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1648 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 30, ग्राम बरला, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, हेतु आवेदन।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2022 के साथ संलग्न नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से प्रकरण में जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र पर उल्लेख किया है कि हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 266-67/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 के उपरांत से आवेदन करने की दिनांक तक उक्त खदान संचालित नहीं की गई है।

उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन पर राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 266-67/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

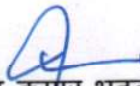
21. प्रकरण क्रमांक 7736/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 0.40 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 123, ग्राम तिजालपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, हेतु आवेदन।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2022 के साथ संलग्न नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से प्रकरण में जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र पर उल्लेख किया है कि हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 276-77/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 के उपरांत से आवेदन करने की दिनांक तक उक्त खदान संचालित नहीं की गई है।

उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन पर राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 276-77/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

22. प्रकरण क्रमांक 7731/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 0.770 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3849 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 72, ग्राम बरखेड़ीघाट, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, हेतु आवेदन।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2022 के साथ संलग्न नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से प्रकरण में जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र पर उल्लेख किया है कि हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 246-47/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 के उपरांत से आवेदन करने की दिनांक तक उक्त खदान संचालित नहीं की गई है।

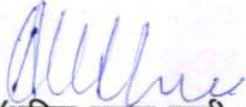
उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन पर राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 246-47/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

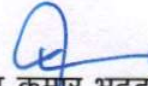
23. प्रकरण क्रमांक 7732/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 104, ग्राम भौती-1, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, हेतु आवेदन।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2022 के साथ संलग्न नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से प्रकरण में जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र पर उल्लेख किया है कि हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 248-49/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 के उपरांत से आवेदन करने की दिनांक तक उक्त खदान संचालित नहीं की गई है।

उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन पर राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 248-49/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

24. प्रकरण क्रमांक 7771/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, एरिया 0.710 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 245, ग्राम नयाखेड़ा-2, तहसील देवरी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, हेतु आवेदन।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2022 के साथ संलग्न नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से प्रकरण में जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, पार्टनर श्री आनंद ताम्रकार, निवासी –मकान नं. बी-23, कस्तूरबा नगर, गोविंदपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र पर उल्लेख किया है कि हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 270-71/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 के उपरांत से आवेदन करने की दिनांक तक उक्त खदान संचालित नहीं की गई है।

उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन पर राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 270-71/SEIAA/2022 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 5617/2017 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईम स्टोन व डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25266 टन प्रतिवर्ष रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 503, नवीन 867, 955, ग्राम रूपौंद, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 743वीं बैठक दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

* राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 589वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के मध्य भाग में एक कच्चा रास्ता (पब्लिक रोड) परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला कलेक्टर कटनी से खदान से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (जो कि खदान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो) लिखित स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर 15 दिवस में SEIAA की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। तदनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी से उपरोक्त वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्रकरण में निराकरण हेतु निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंब हो चुका है, अतः यह प्रकरण एवं इस प्रकार के अन्य प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु SEIAA की नवंबर माह में प्रस्तावित बैठक में प्रस्तुत किये जाये।

26. प्रकरण क्र. 6770/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाड़ी मोहल्ला, बड़ौद रोड़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12125 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 143, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खमरिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 746वीं बैठक दिनांक 13.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

* राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

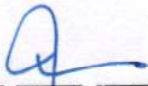
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त खदान में हुई जनसुनवाई में ग्रामवासियों द्वारा खदान स्वीकृत ना किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गाँव की लगभग 2000 गायों के लिये गौशाला का निर्माण कराया गया है साथ ही यह भी आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त खदान से गाँव की 500 बीघा फसल भी खराब होगी एवं जलीय निकाय भी प्रदूषित होगा। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर रतलाम से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि इस तरह की लीज पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम से उपरोक्त वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

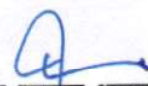

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रित खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षार्गर्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

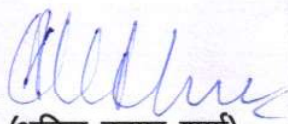
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 753वी बैठक दिनांक 26.10.2022
का कार्यवाही विवरण**

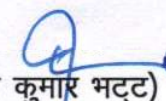
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष